कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

संख्याः– 1310 / 12-1 देहरादूनः दिनांक 06 जनवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय :– जनपद–चम्पावत के अन्तर्गत बिनवालगांव कलियाधूरा (छिड़ाकान) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.720 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/145468/2021)।

संदर्भ :–

1. भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/09/2023/एफ0सी0/508 दिनांक 14.07.2023
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 815/12–1(2) दिनांक 20.09.2023 एवं पत्रांक 1581/12–1(2) दिनांक 20.12.2023 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगतनीय है कि भारत सरकार के उपरोक्त EDS दिनांक 14.07.2023 के द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के सन्दर्भित पत्रों से प्राप्त आख्या/सूचना निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी है :–

क्र. स.	भारत सरकार द्वारा उल्लिखित बिन्दु	प्रतिउत्तर
1	The cost benefit analysis is required to be provided in the new prescribed format.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त के माध्यम से उपलब्ध कराया गया लागत लाभ का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर प्रेषित है। (प्रति संलग्न)
2	The tree enumeration is required to be corrected in online part-II.	प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वृक्षों की संशोधित सूचना पार्ट–2 में अपलोड़ कर दी गयी है।
3	The State Govt is requested to comment and revise the proposal in view of point no. 02 of this office EDS dated 09-02-2023 vide which it was conveyed that construction of road beyond point. 24 of the geo-referenced digital map does not seems appropriate because all population appears to be connected up to this point of the proposed road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा सम्बन्धित वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि शा0सं0–764/III (2)/08-65 (प्रा0आ0) दिनांक 24.03.2008 द्वारा बिनवाल गांव–कलियाधूरा (छिड़ाखान) नाम से स्वीकृति 16.500 कि0मी0 की प्राप्त हुयी थी, जो कि 16.500 कि0मी0 के अन्तिम बिन्दु में सिविल व नाप भूमि थी, जिसमें वर्तमान में वृक्ष होने के कारण दिनांक 23.09.2020 को आर0ई0सी0 की बैठक में के0एम0एल0 का परीक्षण करने पश्चात मार्ग की लम्बाई कम करते हुए बिनवाल गांव के तोक छिड़ाखान तक सीमित करने हेतु बैठक में निर्देशित किया गया था। छिड़ाखान के आबादी बिनवाल गांव के साथ है, डिजिटल मानचित्र में भी पूर्व के मकान व नाप भूमि अंकित है। बिन्दु संख्या 24 तक मार्ग की लम्बई सीमित करने पर गोलडांडा तोक (तोला) जो कि 500 मी0 की लम्बाई में है तथा बिनवाल गांव तो (छीड़ाखान) लम्बाई 1700 मी0 में रहने वाली आबादी मार्ग से वंचित रह जायेगी जो कि प्वाइंट नं0 24 तक अन्तिम बिन्दु 15.200 कि0मी0 में रहने वाली आबादी के आवागमन में मार्ग तक पहुंचने हेतु 3.200 किमी0 की पैदल दूरी तय करनी पडेगी, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण 15.200 कि0मी0 रहने वाली आबादी को कठनाई का सामना करना पडेगा, साथ ही मोटर मार्ग की सुविधा से भी संचित रह

		जायेगें, जिस कारण उक्त क्षेत्र वासियों को पलायन का सामना करना पड़ेगा। अतः उक्त विषय पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया है कि दिनांक 23.09.2020 को आर0ई0सी0 बैठक में के0एम0एल0 के परीक्षण तथा डिजिटल मानचित में पुराने भवन व नाप भूमि को दृष्टिगत रखते हुए उक्त 15.200 कि0मी0 लम्बाई में ऑनलाईन किये गये प्रस्ताव में स्वीकृति हेतु विचार करने की कृपा करें।
4	A separate tree enumeration list for the area proposed for muck dumping is also required to be provided.	प्रस्तावक विभाग द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित समरेखण के किनारे जहां वृक्ष विहीन स्थल 100 से 150 मीटर की लम्बाई तथा लगभग 5 मीटर की चौड़ाई में उपलब्ध है, उन्हे मलुवा निस्तारण हेतु चयनित किया गया है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 1310 / 12-1 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।